

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक : प.33(2)गृह-9/2019

जयपुर, दिनांक : 15 जनवरी, 2021


आदेश

विषय : निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए गाईडलाईन्स दिनांक 16 जनवरी, 2021 से आगामी आदेश तक बढ़ाने हेतु।

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 02 जनवरी, 2021 के द्वारा कोविड-19 के क्रम में निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए 15 जनवरी, 2021 तक के लिए जारी की गई गाईडलाईन्स अग्रिम आदेश तक बढ़ाई जाती है।

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 06.01.2021 द्वारा राज्य सरकार के विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ ही निजी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों व मेडिकल, डेन्टल, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेज को खोलने के सम्बन्ध में जारी किये गये दिशा-निर्देश यथावत् रहेंगे।

www.rajteachers.com

  
(अमय कुमार)


प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त कलेक्टर्स।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।



14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त , जयपुर / जोधपुर
15. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
16. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
17. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ।

  
(एन.एल.मीना)  
शासन सचिव, गृह

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)